

फॉर्म अहकाम

यजमान

नाम न्यायालय
केस संख्या



न्यायालय सहाय

वाद पत्र संख्या 3 /

रामपाल पुत्र श्री चन्द
जिला जयपुर

क्रम संख्या	दिनांक आदेश या कार्यवाही	आदेश विस्तृत रूप से
	20/8/24	पत्रावली पेश हुई। नकील तारी उच्चतम अदालत के सम्मुख पेश की गई। साथ ही उच्चतम अदालत के पास सामंती प्रमाण पेश किए। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
	19/8/24	पत्रावली पेश की। उच्चतम अदालत के पास सामंती प्रमाण पेश किए। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
	10/10/24	पत्रावली पेश की। पी०ओ० साहब अन्य सबूतों के अस्तित्व के अभाव में पत्रावली को पेश किया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
	9/10/24	पत्रावली पेश हुई। नकील उच्चतम अदालत के पास सामंती प्रमाण पेश किए। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
	10/10/24	पत्रावली पेश की। उच्चतम अदालत के पास सामंती प्रमाण पेश किए। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

- 1 म्होरीलाल पुत्र जगन्ना
- 2 महादेव पुत्र जगन्नाथ
- 3 समस्त जाति बैरवा नि
- 4 राजस्थान सरकार जदि
- 4 उप पंजीयक द्वितीय स

दावा बाबत घो
88 व 188 रा

मान्यवर,

वादी की ओर से वा

- 1 यह कि वादी व प्रति जिसमे प्रतिवादी सं जिनका सजरा खा



जगन्नाथ(फौत)

म्होरीलाल म